राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4401/2024

चन्द्रप्रकाश पचलंगिया

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, चूरू।
4. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, लोहा, रतनगढ, चूरू।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.01.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये है कि आदेश दिनांक 23.07.2020 के द्वारा अपीलार्थी का साक्षात्कार एवं चयनोपरांत महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन किया गया था एवं अपीलार्थी को कम्प्यूटर अध्यापक के रूप में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, लोहा रतनगढ, चूरू में पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आगे यह तथ्य अंकित किये है कि आलोच्य आदेश दिनांक 06.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष अध्यापक मानते हुए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, लोहा, रतनगढ से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, Kangar, रतनगढ में स्थानान्तरित कर समायोजित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को जब वर्ष 2020 में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया गया था तब अपीलार्थी को उसके इच्छित विद्यालय में पदस्थापित किया गया था। चूंकि अपीलार्थी का उसके आवेदन पर विशिष्ट विद्यालय के लिये चयन किया गया था तो उसका अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में

स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष घोषित कर समायोजित किया गया है। विकल्प में अपीलार्थी ने यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को यदि उसी महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नहीं रखा जा सकता था तो उसे अन्य महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित नहीं करके राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। उपरोक्त तर्को के आधार पर अपीलार्थी ने स्थानान्तरण आदेश दिनांक 06.12.2024 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी को जब तक राजकीय हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जाता है तब तक उसे वर्तमान पदस्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पदस्थापित रखा जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान स्थान पर अपीलार्थी को कम्प्यूटर अध्यापक के रूप में पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के वर्तमान विद्यालय में कम्प्यूटर अनुदेशक की नियुक्ति करने पर अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किया गया है। चूंकि अपीलार्थी कम्प्यूटर अनुदेशक नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी को अन्य विद्यालय में उसके विषय के आधार पर स्थानांतरित किया गया है।

4. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

5. हम पाते हैं कि अपीलार्थी विज्ञान गणित विषय का अध्यापक है, जिन्हें महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में चयनोपरांत कम्प्यूटर विषय के अध्यापक के रूप में पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी को इस आधार पर अधिशेष घोषित किया गया है कि कम्प्यूटर अनुदेशक की नियुक्ति अपीलार्थी के वर्तमान विद्यालय में की गई है। महात्मा गांधी विद्यालय में स्टाफ के चयन हेतु नियम 2023 नियम बने हुए है जिसके अनुसार चयन कमेटी द्वारा चयन करने के उपरान्त महात्मा गांधी विद्यालयों में कार्मिकों को पदस्थापित किया जाने का प्रावधान है। उक्त नियमों की अनुसूची–I में भी क्रम संख्या 13 पर बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक का नाम अंकित है, जिसके संबंध में महात्मा गांधी विद्यालयों में पदस्थापन हेतु निम्न पात्रता निर्धारित है:–

S.No.	Name of the Post	Eligibility
10.	Teacher Level-2 (various subjects)	A person working on the post of Teacher Level-2 in the relevant subject.
13.	Basic Computer Instructor	A person working on the post of Basic Computer Instructor

6. अपीलार्थी चूंकि कम्प्यूटर अनुदेशक नहीं है, ऐसे में कम्प्यूटर अनुदेशक के पदस्थापन से अपीलार्थी को अधिशेष घोषित किये जाने में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को एक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से दूसरे महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जा सकता। हम पाते हैं कि अपीलार्थी को चयन प्रक्रिया अपना कर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्ति दी गयी थी। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हेतु शिक्षकों के लिये पृथक से कैडर बनाया गया है, जिस कैडर के स्थापित होने के पश्चात सेवाशर्तो हेतु The Rajasthan Civil Services (Special Selection and Special Conditions of Service for Appointment of Personnel in the English Medium Schools) Rules, 2023 नियम बनाये गये है। उक्त नियम के नियम 14(6) में प्रावधान है कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों का स्थानान्तरण दूसरे अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में किया जा सकता है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का इन्हीं नियमों के तहत स्थानान्तरण किया गया हैं। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी एक बार अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय के कैडर में पदस्थापित हो चुका है तो उसे हिन्दी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन किया जा सकता है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रतिवर्तन के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। अपीलार्थी को योग्यताधारी कम्प्यूटर शिक्षक की नियुक्ति के पश्चात अधिशेष घोषित किया गया है। वर्तमान माहात्मा गांधी राजकीय विद्यालय से अधिशेष घोषित किये जाने पर अपीलार्थी को अन्य माहात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में पदस्थापन उपरोक्त नियम, 2023 के आधार पर किया जा सकता है। अपीलार्थी ने चूंकि अपना प्रतिवर्तन हेतु प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। ऐसे में अपीलार्थी को अन्य माहात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापित किये जाने में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है।

8. यहां यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र दिनांक 26.04.2023 जारी किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार से पदस्थापित कर्मचारियों के प्रतिवर्तन आवेदन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, जिसमें समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये थे कि वे अपने परिक्षेत्र में शामिल महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय/स्वामी विवेकानन्द राजकीय आदर्श विद्यालय में पदस्थापित प्रतिवर्तन के इच्छुक कार्मिक से विकल्प/आवेदन

प्राप्त कर दिनांक 05.05.2023 तक भिजवाने का श्रम करें ताकि प्रतिवर्तन से होने वाली भावी रिक्तियों को भी नयी चयन प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। अतः स्पष्ट है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा समायोजन की प्रक्रिया के समय प्रतिवर्तन हेतु विकल्प लिये जाने का भी प्रावधान रखा गया था। उपरोक्त पत्र को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी अधिशेष होने के उपरान्त अपना प्रतिवर्तन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से हिन्दी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन चाहता है तो इस हेतु उक्त पत्र दिनांक 26.04.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपना विकल्प/आवेदन पत्र प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत कर सकेगा। यदि अपीलार्थी द्वारा अपना प्रतिवर्तन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसका निस्तारण प्रत्यर्थी विभाग एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)